प्रेस नोट दिनांक 03.05.2026

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा "हत्या का प्रयास" के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त रोहित मिश्रा उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया गया-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त रोहित मिश्रा उर्फ बाबा को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत रेलवे क्रसिंग के पास से किया गया गिरफ्तार-

प्रतापगढ़।
दिनांक 14.01.2026 को वादी निवासी बलीपुर थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत बलीपुर दुर्गा मंदिर के पास को पूर्व से घात लगाए बैठे आरोपीगण द्वारा रास्ता रोककर लोहे की रॉड, ब्लेड एवं डंडों से मारपीट की गई, जिससे वादी के सिर व आंख में गंभीर चोटें आई। बीच-बचाव करने आए प्रार्थी के दोस्त को भी आरोपियों द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 22/26 धारा 191 (2)/191 (3)/190/115 (2)/110/126(2) /109 (1) बीएनएस बनाम 06 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर सुभाष कुमार यादव मय हमराह का0 मो0 आरिफ, का0 कणाद मुनि द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 22/26 धारा 191 (2)/191 (3)/190/115 (2)/110/126(2) /109 (1) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त रोहित मिश्रा उर्फ बाबा पुत्र शिव शंकर मिश्रा नि० बलीपुर विवेक नगर थाना को0 नगर प्रतापगढ़ उम्र करीब 31 वर्ष को रेलवे क्रसिंग के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. रोहित मिश्रा उर्फ बाबा पुत्र शिव शंकर मिश्रा नि० बलीपुर विवेक नगर थाना को0 नगर प्रतापगढ़ उम्र करीब 31 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
प्र0नि0 सुभाष कुमार यादव मय हमराह का0 मो0 आरिफ, का0 कणाद मुनि थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज पुलिस की बड़ी सफलता— आपसी विवाद में अपनी बुआ के लड़के (टिंकू शुक्ला) की हत्या करने वाला अभियुक्त 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामद

ससुराल आए युवक पर चाकू से प्राणघातक हमला कर हत्या करने वाला ममेरा भाई गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल (चाकू) बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना महेशगंज पुलिस की बड़ी कार्यवाही— बुआ के लड़के की हत्या करने वाला अभियुक्त महेवामलकिया गंगा एक्सप्रेसवे के पास से गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामद

प्रतापगढ़।
दिनांक 02.05.2026 को थाना महेशगंज पर प्राप्त सूचना के आधार पर यह अवगत कराना है कि टिंकू शुक्ला उर्फ विजय पुत्र कृपाशंकर शुक्ला, निवासी ग्राम हरिहरपुर, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़, जो अपनी ससुराल ग्राम जियावन का पुरवा, , राजापुर थाना महेशगंज आया हुआ था, को दीपक पाण्डेय पुत्र लक्ष्मीनारायण पाण्डेय उर्फ बबलू, निवासी ग्राम गोरखापुर नरियावां, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ (जो कि मृतक का रिश्तेदार/मामा का लड़का है) द्वारा आपसी विवाद के दौरान चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया।

घायल को तत्काल उपचार हेतु सीएचसी कुंडा भेजा गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की आवश्यक विधिक कार्यवाही संपादित की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना महेशगंज पर मु0अ0सं0 110/26 धारा 103 (1) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

सूचना प्राप्त होते ही उच्चाधिकारीगण द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट एवं स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही विधिवत की गई।

घटना की गंभीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु विभिन्न पुलिस टीमों का गठन किया गया है। गठित टीमों द्वारा घटनास्थल से प्राप्त भौतिक साक्ष्यों, तकनीकी विश्लेषण एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के आधार पर अभियुक्त की शिनाख्त एवं गिरफ्तारी हेतु सतत एवं प्रभावी प्रयास किए जा रहे थे।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण/ नेतृत्व में थाना महेशगंज पुलिस व एसओजी टीम प्रतापगढ़ द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 110/26 धारा 103 (1) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त

दीपक पाण्डेय पुत्र लक्ष्मी नारायण पाण्डेय उर्फ बब्लू पाण्डेय उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम गोरखापुर नरियावां थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद चाकू के साथ थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत महेवामलकिया के पास गंगा एक्सप्रेसवे हाईवे के सर्विस रोड पर गोपालापुर अंडर पास के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मुझे पहले मेरी बुआ का लड़का टिंक कई बार मार चुका था, जिस कारण मैंने कल दोपहर में ग्राम जियावन का पुरवा, राजापुर में लल्लू मिश्रा के घर अपने बुआ के लड़के टिंकु शुक्ला की चाकू से मारकर लहु लुहान कर भाग गया था, मुझे बाद में सूचना मिली कि उसकी मृत्यु हो गई है तभी मैं शर्ट बदलकर बाहर जाने की फिराक में खड़ा था कि आप लोगों ने पकड़ लिया यह वही चाकू है, जिससे मैंने अपनी बुआ के लड़के टिंकू को मारा था

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. दीपक पाण्डेय पुत्र लक्ष्मी नारायण पाण्डेय उर्फ बब्लू पाण्डेय उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम गोरखापुर नरियावां थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01 अदद चाकू बरामद।

पुलिस टीम का विवरण -

थाना महेशगंज पुलिस टीम-

थाना प्रभारी महेशगंज श्री राधेबाबू मय हमराह व0उ0नि0 श्री नीरज सिह कुशवाहा उ0नि0 श्री अजय कुमार, का0 रामवीर सिंह, का0 विशाल यादव व का0 प्रेमवीर सिह थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

SOG टीम का विवरण-

उ0नि0 श्री अमित कुमार चौरसिया मय हमराह उ0नि0 श्री अमित सिन्हा, उ0नि0 श्री अजीत कुमार, उ0नि0 श्री दिनेश सिंह, हे0का महेंद्र प्रताप, हे0का0 मोहित राम यादव, हे0का0 सनोज, मय चालक हे0का0 राजेंद्र प्रताप सिंह, का0 सलमान खान, .का0 अरविन्द दूबे, का0 जहांगीर सिह, का0 आशुतोष पाण्डेय,

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता: चोरी के अभियोग में 05 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार, चोरी का माल व नगदी से खरीदे सामान बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस की बड़ी कार्यवाही: चोरी के अभियोग से संबंधित 05 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार, चोरी की 01 अदद इंडक्शन चूल्हा (चोरी का), 01 अदद आई

फोन (चोरी के पैसों से खरीदा गया), 01 अदद मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट की (चोरी की पैसों से खरीदी गयी) व 10.13 ग्राम पीली धातु (सोने की ज्वैलरी चोरी की जो गलाया गया) बरामद-

प्रतापगढ़।
दिनांक 12.04.2026 को वादिनी निवासी ग्राम छेमी (पो० पूरेनोती) थाना लालगंज इलाज हेतु प्रयागराज गई थीं। दिनांक 15.04.2026 को सूचना मिलने पर घर लौटने पर पाया कि अज्ञात चोरों द्वारा मुख्य द्वार एवं आलमारी का ताला तोड़कर घर से आभूषण, कुछ बर्तन व एक टीवी चोरी कर लिया गया। इस संबंध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 122/26 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनंदन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में थाना लालगंज के उ0नि0 बनवारी लाल पाल मय उ0नि0 मिथिलेश चौरसिया, म0उ0नि0 दीपिका सिंह, का0 राहुल सोलंकी, का0 संतोष यादव, का0 माधवेश राय द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 122/2026 धारा 305, 61(2)ए, 331(4), 317(2) बी.एन.एस. से संबंधित 05 अभियुक्त/अभियुक्ता को चोरी के 01 अदद इंडक्शन चूल्हा (चोरी की), 01 अदद आई फोन (चोरी के पैसों से खरीदा गया), 01 अदद मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट की (चोरी की पैसों से खरीदी गयी) व 10.13 ग्राम पीली धातु (सोने की ज्वैलरी चोरी की जो गलाया गया) के साथ थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत भदारीकला जंगल के पास से गिरफ्तार तथा अभियुक्ता को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 01 अदद इंडक्शन चूल्हा (चोरी की), 01 अदद आई फोन (चोरी के पैसों से खरीदा गया), 01 अदद मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट की (चोरी की पैसों से खरीदी गयी) व 10.13 ग्राम पीली धातु (सोने की ज्वैलरी चोरी की जो गलाया गया) बरामद की गई हैं। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में धारा 61(2)ए, 331(4), 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-
01. शौरभ मिश्रा पुत्र रविन्द्र मिश्रा निवासी ग्राम धोनू का पुरवा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।
02. शुभम मिश्रा पुत्र बृजेश कुमार निवासी ग्राम मधुपुर मुगरा बादशाहपुर थाना मुगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर उम्र करीब 18 वर्ष।
03. अमरजीत प्रजापति पुत्र कामता प्रसाद निवासी ग्राम लोही थाना चरवा जनपद कौशाम्बी उम्र करीब 21 वर्ष।
04. आशीष केसरवानी पुत्र चन्द्रशेखर केसरवानी निवासी 303/01 नयापुरवा करेली थाना करेली जनपद प्रयागराज उम्र करीब 35 वर्ष।
05. खुशी उर्फ अंशिका मिश्रा पुत्री राजनारायण मिश्रा निवासी पूरे छेमी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष।

बरामदगी-
01 अदद इंडक्शन चूल्हा (चोरी की), 01 अदद आई फोन (चोरी के पैसों से खरीदा गया), 01 अदद मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट की (चोरी की पैसों से खरीदी गयी) व 10.13 ग्राम पीली धातु (सोने की ज्वैलरी चोरी की जो गलाया गया) बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 बनवारी लाल पाल मय उ0नि0 मिथिलेश चौरसिया, म0उ0नि0 दीपिका सिंह, का0 राहुल सोलंकी, का0 संतोष यादव, का0 माधवेश राय, थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना लीलापुर के उ0नि0 देवी दयाल कश्यप मय हमराह का० प्रवीण कुमार द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना परकेस नं0 14641/22 अपराध संख्या 781/21 थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 वारंटी अभियुक्त 1.रामनेवाज पुत्र कमासुद्दीन नि0 ग्राम कटकावली थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 58 वर्ष 2.बृजेश कुमार पुत्र रामनेवाज नि0ग्राम कटकावली थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. रामनेवाज पुत्र कमासुद्दीन नि0ग्राम कटकावली थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 58 वर्ष।
02. बृजेश कुमार पुत्र रामनेवाज नि0ग्राम कटकावली थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 देवी दयाल कश्यप मय हमराह का० प्रवीण कुमार थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना अन्तू के उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह का0 लाखन सिंह द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर केस/674/2021

राज्य बनाम बृजेश यादव अन्तू मु0अ0स0 231/2020 धारा 3(1)(r),3(1)(s),3(2)(va) Sc/st एक्ट से संबंधित 02 वारंटी अभियुक्त 1.बृजेश यादव पुत्र जुगुन किशोर निवासी ग्राम मफिया गड़वारा थाना अन्तू प्रतापगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष 2.सुशील यादव पुत्र स्व0 रामअजोर यादव निवासी ग्राम मफिया गड़वारा थाना अन्तू प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. बृजेश यादव पुत्र जुगुन किशोर निवासी ग्राम मफिया गड़वारा थाना अन्तू प्रतापगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष।
02. सुशील यादव पुत्र स्व0 रामअजोर यादव निवासी ग्राम मफिया गड़वारा थाना अन्तू प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह का0 लाखन सिंह थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत थाना अंतू पुलिस द्वारा कुल 01 किलो 110 ग्राम अवैध गांजा व बिक्री का कुल 310 रू0 के साथ 01 अभियुक्त अंकित सिंह चौहान को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत पूरे माधव सिंह मोड के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूक र द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी अंतू श्री अभिषेक कुमार सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 सचिन यादव व उ0नि0 श्री राम नरेश चौकी प्रभारी एआरटीओ मय हमराह का0 जितेंद्र कुमार, का0 लाखन सिंह का0 पवन कुमार द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत पूरे माधव सिंह मोड के पास से 01 अभियुक्त अंकित सिंह चौहान पुत्र धीरेन्द्र प्रताप सिंह चौहान निवासी ग्राम नरिया छोटी थाना कोतवाली देहात जिला प्रतापगढ उम्र करीब 32 वर्ष को कुल 01 किलो 110 ग्राम अवैध गांजा व बिक्री का कुल 310 रू0 के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर थाना अंतू में मु0अ0सं0- 106/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01- अंकित सिंह चौहान पुत्र धीरेन्द्र प्रताप सिंह चौहान निवासी ग्राम नरिया छोटी थाना कोतवाली देहात जिला प्रतापगढ उम्र करीब 32 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
अभियुक्त अंकित सिंह चौहान पुत्र धीरेन्द्र प्रताप सिंह चौहान निवासी ग्राम नरिया छोटी थाना कोतवाली देहात जिला प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 94/18 धारा 323, 504, 506 भादवि व धारा 3(1)(x) अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 200/21 धारा 323/504/506 भादवि व धारा 3(1)(ध), 3(1)(द), 3(2)(va) एस0सी0 एस0टी एक्ट थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 244/23 धारा 323/504/506 भादवि व धारा 3(1)(ध), 3(1)(द), 3(2)(va) एस0सी0 एस0टी एक्ट थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।
04. 342/17 धारा 323/379/427/506 भादवि थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।
05. मु0अ0सं0- 106/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
कुल 01 किलो 110 ग्राम अवैध गांजा व बिक्री का कुल 310 रू0 बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 सचिन यादव व उ0नि0 श्री राम नरेश चौकी प्रभारी एआरटीओ मय हमराह का0 जितेंद्र कुमार, का0 लाखन सिंह का0 पवन कुमार थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़।

बयान-
जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णत: गोपनीय रखी जाएगी।